इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 11 दिसम्बरम,1995 को सीसा ड्रास/अवशेष/स्क्रैप वाले 3,500 मीटरी टन सीसे के आयात के लिए अनुमति दी गई थी।

निर्यातकर्ता देश : दक्षिण कोरिया।

7. आयातकर्ताः मैसर्स इंडियन लेड लिमिटेड, बम्बई।

इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी ठाणे यूनिट में उपयोग के लिए ड्रास/अवशेष/स्क्रैप के आयात पर बातचित करने के लिए दिनांक 21 नम्बर, 1995 को अनुमति दी गई थी। अबतक किसी पारेषण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

सभी आयातों की अनुमति परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन) एवं हथालन) नियमावली, 1989 तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षाएं पूरा करने पर दी जाती है।

मथुरा में रासायनिक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

3702. **श्री जगदम्बी मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के तहसील छाता के अंतर्गत गांव बठैंन कलां और बठैंन खुर्द से मात्र एक कि.मी. की दूरी पर स्थित कुछ रासायनिक फैक्टरियों में से निकलने वाली जहरीली गैस तथा पानी से आस-पास के गांवों में रहने वाले सभी मनुष्यों का जीना मुश्किल हो गया है तथा वहां लोगों के मन में मौत का खौपनाक आतंक बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय लोगों में व्याप्त भय को देखते हुए तुरन्त इन फैक्टरियों को बंद करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज):

(क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के छाता तहसील के अन्तर्गत गांव बठैंअ कलां और बठैन खुर्द से एक कि.मी. की दूरी पर स्थित औद्योगिक इकाई मुख्य उत्पाद के रूप मेंईथाइल एल्कोहल और उप –उत्पाद के रूप में एल्डीहाइड, ऐसिड और ईथाइल ऐसीटेट का उत्पादन करती है जिसके लिए वह कच्ची सामग्री के रूप में शीरे का इस्तेमाल करती हैं। निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जहरीली गैस न तो इस्तेमाल में लाई जाती है और न ही उत्पादित होती है। इस समय डिस्टिलेरी कार्य नहीं कर रही है और केवल रासायनिक इकाई कार्यरत् है। तथापि,इस इकाई से उत्सर्जित हो रहे बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए बताया है कि पूर्ण बहिस्राव शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाघों द्वारा लोगों और पशुओं को मारा जाना

3703. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के आदमखोर बाघों ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं में फिर से अनेक लोगों और पशुओं की जानें ले ली हैं;

(ख) यदी हां,तो मारे गए लोगों तथा पशुओं की संख्या कितनी है और क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरणा और वन मंत्री (प्रो.सैफुद्दीन सोज) : (क) सरकार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में बिडाल जाति के जानवरों (बिग कैट्स) द्वारा लोगों के मारे जाने की जानकारी है, लेकिन वहां लोग `तेंदुए' द्वारा मारे गए न कि "बाघ' द्वारा जिसे इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा `बाघ' समझा गया ,

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया गया है कि जनवरी से मार्च, 1997 तक तीन मास की अवधि के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में पांच व्यक्ति और कुमांऊ क्षेत्र में एक बच्चे के मारे जाने की रेपोर्ट मिली है। इसके अलावा, 23 पशुओं के मारे जाने की रिपोर्ट है। मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों तथा पशुस्वामियों को मुआवजा देने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।